निरीक्षण कर्ता	–	श्री कर्मेन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।
दिनांक	–	16–06–2016
निरीक्षण स्थल	–	विकास खण्ड टूण्डला की ग्राम पंचायत धिरौली में मनरेगा कार्य एवं राज्य वित्त की धनराशि से निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण।

1–सुरेन्द्र फौजी के घर से सूरज पाल तौमर के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य :

इस कार्य निरीक्षण के दौरान श्री आर0के0 श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फिरोजाबाद, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, श्रीमती इन्द्रलता तोमर, ग्राम पंचायत सचिव व उनके पति, ग्राम प्रधान पति श्री अरविन्द सिंह व ग्रामवासी उपस्थित रहे। निरीक्षण में पायी गयी स्थिति का विवरण निम्नवत् है।

आश्रम के पास श्री सुरेन्द्र फौजी के घर से श्री सूरज पाल तोमर के घर तक कुल 75 मीटर लम्बाई में इण्टरलॉकिंग कार्य कराया जाना बताया गया। कार्य की चौड़ाई 3.8 मीटर बतायी गयी। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 13–2–2016 तथा कार्य समाप्त की तिथि 18–3–2016 अंकित है। मजदूरी पर व्यय रू0 87262.00 एवं गैर मजदूरी पर व्यय रू0 3.17 लाख किया गया है। इसके अतिरिक्त नाली कार्य पर अतिरिक्त व्यय रू0 71952.00 बताया गया। कार्य पर कुल 542 मानव दिवस श्रजित हुए है। मनरेगा योजनान्तर्गत श्रमांश व सामिग्री का अनुपात 60:40 रखे जाने का प्राविधान है। इस कार्य पर व्यय में मनरेगा प्राविधानों का अनुपालन किया जाना नहीं पाया गया। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ग्राम पंचायत सचिव को कठोर चेतावनी निर्गत करें कि ग्राम पंचायत के कार्यों में श्रम और समिग्री पर व्यय में मनरेगा प्राविधानों के अनुसार 60:40 सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में इनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही–परियोजना निदेशक, जि0ग्रा0वि0अभि0)

पूरी लम्बाई में इण्टरलॉकिंग कार्य का निरीक्षण किया गया। श्री सूरज पाल सिंह तोमर के घर के सामने नाली बन्द तथा आगे तिराहे पर इण्टरलॉकिंग कार्य

एक स्थान पर टूटा मिला। ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया कि बन्द नाली खुलवायें

तथा टूटे हुए कार्य को ठीक करायें। कार्य के एक साइड़ में पानी निकास की उचित व्यवस्था न होने की शिकायत उपस्थिंत ग्रामवासियों द्वारा की गयी। उपस्थित ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया है कि इण्टरलॉकिंग कार्य के किनारे नाली ठीक कराते हुए पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत अधिकारी/प्रधान को निर्देशित किया गया था कि निरीक्षण के दौरान कार्य करने वाले श्रमिकों से वार्ता करायी जाय, परन्तु कोई मजदूर उपस्थित नहीं मिला। ग्रामवासियों ने बताया कि इण्टरलॉकिंग कार्य के लिए दूसरे गांव से श्रमिक आये थे। इस ग्राम में कोई मजदूरी का कार्य नहीं करता है। खण्ड विकास अधिकारी इस कार्य पर लगाये गये श्रमिकों का सत्यापन करायें।

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी, टूण्डला)

<u>2–राज्य वित्त की धनराशि से निर्माणाधीन श्री नवीन के घर से श्री राम सुशील के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य :</u>

उपस्थित ग्राम प्रधान ने बताया कि राज्य वित्त की धनराशि से 80 मीटर लम्बाई में इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है। निरीक्षण के समय

कार्य पर श्रमिक उपस्थित नहीं मिले। इस कार्य की स्वीकृत लागत के सम्बन्ध में जानकारी चाहे जाने पर ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। खण्ड विकास अधिकारी इस कार्य के सम्बन्ध में परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करें कि उक्त कार्य, कार्य योजना में स्वीकृत है अथवा नहीं? तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गयी है अथवा नहीं?

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी, टूण्डला)

(कर्मेन्द्र सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद।

पत्रांक 94/एस0टी0–मु0वि0अ0
दिनांक 23-6-16

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– आयुक्त आगरा मण्डल आगरा।
2– जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
3– परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फिरोजाबाद।
4– जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, फिरोजाबाद।
5– खण्ड विकास अधिकारी, टूण्डला।

17-6-16
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।